20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

318

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़ निग 3695-I-16

माया देवी पत्नी राजेश ब्रहम्ण, निवासी नन्ही टेहरी, तहसील बड़ागॉव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—— आवेदिका

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... अनावेदक

370
25-10-16

न्यायालय अतिरिक्त तहसील बड़ागॉव धसान तहसील व जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 97/अ–6अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेक की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागॉव धसान जिला व जिला टीकमगढ़ का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, आवेदिका द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार बडागॉव धसान के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 147/अ–19(4)/95–96 में भूमि स्वामी पट्टा खसरा नं. 676/3 रकवा 1.000 है0 का प्रदान किया गया था। किन्तु राजस्व अभिलेखों में उक्त पट्टे का अमल नहीं किया गया है, इसलिये अमल कराया जाये।

3– यहकि, आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया था वह अशिक्षित महिला है, इसलिये तद्समय उक्त अमल नहीं करा सकी। जबकि भूमि पर उसका कब्जा विगत 30 वर्षो से निरन्तर कास्त करके चला आ रहा है। इस हेतु द्वारा भूमि में सुधार कराया गया है, किन्तु पटवारी द्वारा रोस्टर बनवाते समय जानबूझकर कॉलम नं. 3 में आवेदिका के नाम की प्रविष्टी नहीं की गयी है। जो सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4– यहकि, वर्ष 2002–03 में म.प्र. शासन की ओर से भूमि का वंटन किया गया था जिसमें खसरा नं. 676/3/1 से कमांक 676/3/8 तक भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3695-एक/2016 जिला टीकमगढ़ मायादेवी विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार बडागांव धसान टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 97/अ-6अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

24.01.19

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 24.01.19 सदस्य	